<u>न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1, गोण्डा ।</u>

<u>जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1215 / 2026</u>

<u>CNR No. UPGD01003579-2026</u>

1. कृष्ण कुमार आयु लगभग 55 वर्ष पुत्र पारसनाथ
2. विनोद कुमार आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र भैरव प्रसाद

निवासीगण विरमापुर, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

––––––––––**प्रार्थीगण / अभियुक्तगण**

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश––––––––––––––––––––––––––––––––**अभियोजन पक्ष**

अपराध संख्या–417 / 2021
धारा–419,420,467,468,471 भा0दं0सं0
<u>थाना–इटियाथोक, जिला गोण्डा।</u>

<u>दिनांक–01.06.2026</u>

प्रार्थीगण / अभियुक्तगण कृष्ण कुमार व विनोद कुमार की ओर से अपराध संख्या–417 / 2021, धारा–419,420,467,468,471 भा0दं0सं0 थाना–इटियाथोक, जिला गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्तगण के पैरोकार संसारमणि मिश्रा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी अब्दुल हक रिजवी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा–156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय से दिया गया कि प्रार्थी मूल रूप से ग्राम नौशहरा परसिया बहोरीपुर थाना इटियाथोक का मूल निवासी है। प्रार्थी का इटियाथोक बाजार में स्थित विद्यालय संस्थान दारूल उलूम कादिरिया बरकातिया रजा मेमोरियल संस्थान का प्रबन्धक है। प्रार्थी के संस्थान के प्रमुख हजरत मौलाना सैय्यद मोहम्मद अमीन साहब, सज्जादा नशीन खानकाह बरकातिया मोरहरा शरीफजिला ऐटा यूपी० व हजरत अल्लामा मुफफती मुहम्मद शरीफुल हक साहब अमजदी मुहल्ला करीमुद्दीन पुर तहसील घोसी जिला मऊ यूपी ने संस्था के स्थापना के लिए जान मोहम्मद पुत्र सुबराती निवासी ग्राम पाण्डेय पुरवा पारासराय थाना इटियाथोक जिला गोण्डा से दिनांक–16.4.1996 को 32,500 रूपया क्रय राशि देकर बैनामा लिया था और उसी समय काबिज दखील हुआ था जिसके उपरान्त विद्यालय संस्थान के द्वारा उक्त भूमि को अपने कब्जे में लेकर उस भूमि पर बाउन्डीवाल बनवाकर अपने प्रयोग में ले लिया गया था। किन्तु किसी कारण वश कागजात सरकारी में अपने नाम से दाखिल खारिज नहीं करवा सका। इस बीच दाखिल खारिज न होने से स्वश्री जान मुहम्मद पुत्र सुबराती का नाम खेतौनी में दर्ज रह गया जिस कारण दिनाँक–24.12.2020 को श्री जान मोहम्मद के द्वारा विद्यालय की सम्पत्ति का फर्जी बैनामा अपनी सगी बहुओं श्रीमती शगुफता अंजुम पत्नी अजीज अहमद गोरी व जाकरून निशा पत्नी इमरान खान के नाम बिना विद्यालय को किसी भी प्रकार की सूचना दिये फर्जी व नुमाईसी बैनामा और दाखिल खारिज का आदेश भी पारित करवा लिया जब विद्यालय के प्रबन्धक को खेतौनी निकालने पर की सम्पत्ति पर विपक्षीगण 1 व 2 का नाम देखा तब

रजिस्टरी आफिस में मौइना कराया और नकल प्राप्त किया तब प्रार्थी को विपक्षीगण के फर्जी जाली बैनामा के बारे में जानकारी हुई तब प्रार्थी विपक्षी सं0 1 व 2 से मिला और कहा कि हमारे विद्यालय की सम्पत्ति का आपने बैनामा क्यों करवा लिया तब विपक्षीगण ने कहा कि हमे कुछ जानकारी नहीं है जब हमारे ससुर जिन्दा थे उन्होने कहा कि हमारे नाम कुछ सम्पत्ति है चलो तुम दोनों के नाम बैनामा कर देते है और रजिस्ट्रारी आफिस गोण्डा ने कर बैनामा करवा दिये हमें कुछ जानकारी नहीं है जब प्रार्थी ने विपक्षी पर मुकदमा दर्ज करवाने की बात कहा तो विपक्षीगणो कहा कि हम आपकी सम्पत्ति वापस कर देंगे, किन्तु बाद मे जमीन को दोबारा विद्यालय प्रबन्धक के नाम करने में आना कानी करने लगे तब दिनांक 20.11.2021 को प्रार्थी विपक्षीगण के घर गया कहा कि चल कर रजिस्टरी आफिस में अपना बैनामा कैन्सिल करवा लो तब विपक्षीगणो ने कहा कि हमे जो करना था हमने वह किया अब हम न तो अपना बैनामा कैन्सिल करवायेगे और पुलिस के जरिये तुम्हारी बाउन्डी तोड़ कर हम कब्जा भी करेगें। तब प्रार्थी ने दिनाक–20.11.21 को थाना इटियाथोक में विपक्षीगण के जाली के जाली व फर्जी बैनामा लिखाने के बारे में तहरीर दिया किन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।

उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के आधार पर थाना इटियाथोक, जिला गोण्डा में उपरोक्त मुकदमा अभियुक्तगण शगुफता अंजुम, जाकरून निशा, कुष्ण कुमार व विनोद के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से आधार जमानत में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एकदम निर्दोष हैं तथा फर्जी मुकदमें में फंसा दिया गया है। प्रार्थीगणों ने क्रेता एवं विक्रेतागणों को मात्र तस्दीक किया है कि क्रेता एवं विक्रेतागण उपरोक्त पते का निवासी है। उपरोक्त विवादित बैनामें के समय खतौनी में विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेख में विक्रेता का नाम दर्ज था तथा प्रार्थीगणों को अन्य किसी प्रकार से न तो विक्रेता द्वारा किए गए पूर्व बैनामें की जानकारी ही थी और न ही प्रार्थी के जानकारी होने की सम्भावना ही थी। वादी मुकदमा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में 156(3) दं0प्र0सं0 में विक्रय जान मोहम्मद को अभियुक्त न बनाकर कुनिष्ठावश प्रार्थीगणों को अभियुक्त बना दिया है। प्रार्थी उपरोक्त मामले में लाभार्थी नहीं है। प्रार्थीगणों के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीगणों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण बराबर हाजिर अदालत आते रहेगें। उक्त कथनों के आधार पर प्रार्थी को उचित जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपराध की गंम्भीरता के आधार पर जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा ने जान मोहम्मद से दिनांक–16.4.1996 को 32,500 रूपया क्रय राशि देकर बैनामा लिया था और उसी समय

काबिज दखील हुआ था, किन्तु वादी ने अपने नाम से दाखिल खारिज नहीं करवा सका। इस बीच दाखिल खारिज न होने से स्वश्री जान मुहम्मद का नाम खेतौनी में दर्ज रह गया जिस कारण दिनाँक–24.12.2020 को श्री जान मोहम्मद के द्वारा विद्यालय की सम्पत्ति का फर्जी बैनामा अपनी सगी बहुओं श्रीमती शगुफता अंजुम व जाकरून निशा के नाम बिना विद्यालय को किसी भी प्रकार की सूचना दिये फर्जी व नुमाईसी बैनामा और दाखिल खारिज का आदेश भी पारित करवा लेने का अभियोग लगाया गया है। उक्त बैनामें में प्रार्थीगण न तो क्रेता है और न ही विक्रेता है और न ही लाभार्थी है। मात्र हासिया गवाह है, जो क्रेता व विक्रेता को तस्दीक किया है। सहअभियुक्त का किसी प्रकार से सहयोग प्रार्थीगण द्वारा किया गया है, उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले में विवेचनापरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण दिनांक–19.05.2026 से जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किए हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कृष्ण कुमार व विनोद कुमार की ओर से अपराध संख्या–417/2021, धारा–419,420,467,468,471 भा0दं0सं0 थाना–इटियाथोक, जिला–गोण्डा के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1215/2026 स्वीकार किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **Smt. Bacchi Devi vs. State of U.P. Neutrul Citation 2025:AHC 136034,** में दिए गए निर्देश के अनुक्रम में अभियुक्तगण द्वारा मु0 50,000/–50,000/–(पचास–पचास हजार) रूपये की एक जमानत एवं इसी धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों की अण्डरटेंकिग प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए–

1– अभियुक्त विचारण के दौरान मामले से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण धमकी या बचन नहीं देगा और साक्ष्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

2– अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा आहूत किए जाने पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

3– अभियुक्त द्वारा जमानत पर छूटने के उपरान्त विचारण के दौरान इस प्रकार के मामलों में संलिप्त नहीं होगा।

4– अभियुक्त द्वारा कोई भी स्थगन साक्ष्य की अवस्था पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जबकि गवाह उपस्थित हों और आवदेक बयान के समय, 313 दं0प्र0सं0 के बयान के समय और मामले की कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय उपस्थित रहेगा।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
J.O.Code-UP6272
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–1, गोण्डा।

दिनांक–01.06.2026

Digitally signed by SURYA PRAKASH SINGH
Date: 2026.06.06 11:29:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court